राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6)विभाग

क्रमांक प.3 (17)राज.6 / 2021 /65 जयपुर, दिनांक– 18.08.21

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15, वर्ष 1956) की धारा 260 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15, वर्ष 1956) की धारा 128 के परन्तुक एवं अधिसूचना कमांक 5(21) राज–4 / 80 / 36 दिनांक 4.9.1982 के तहत अविवादित सीमाज्ञान के मामलों को निर्णित करने की ग्राम पंचायत की शक्तियां ग्राम पंचायत के स्थान पर राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी जिनको 'प्रशासन गांव के संग अभियान–2021' के लिये नियुक्त किया गया है, को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु एतद्द्वारा प्रदत्त करती है।

यह अधिसूचना 'प्रशासन गांव के संग अभियान–2021' की अवधि दिनांक 02.10.2021 से 17.12.2021 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

18/08/2021
(रामचरन शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
9. सूचना जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
10. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र के विशेषांक दिनांक 18.8.21 में प्रकाशन हेतु।
11. समस्त संयुक्त शासन सचिव / उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

18/08/2021
शासन उप सचिव